

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हु  
की तामीर मे जारी

7/23

पत्रावली आज पेश हुयी। प्राथमिक वकील  
अनुपस्थित। न्यायालय प्रकृत में एक-एक  
कर बार-बार आवाने भावनायी गयी।  
ना तो प्राथमिक वकील ना ही स्वयं प्राथमिक  
रूप उपस्थित हुये। अतः पत्रावली सिविल  
प्रक्रिया संहिता के अर्द्ध 9 नियम 3  
(अदम परकी अदम लाजरी) के तहत  
खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल में  
शुमार ही नम्बर से क्रम की जाकर दाखिल  
रफ्तार है।

उप जिला कलेक्टर  
चौथ का बरवाड़ा

